संपादकीय

चुनाव का पेंच

ऐसे में 2018 में लोकसभा के साथ-साथ सात राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार एक साथ चुनाव कराने में कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं है।

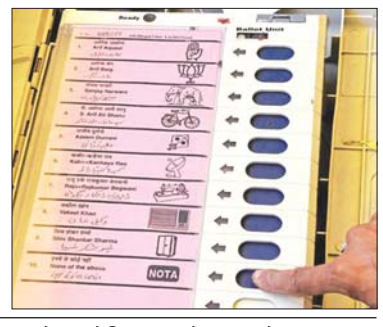

राष्ट्रपति रामनाथ कविंद ने संसद के बजट सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा व विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने पर जोर दिया और कहा कि बार-बार चुनाव होने से विकास की रफ्तार में बाधा आती है क्योंकि अधिकारियों को चुनावों में हाथ बटांना पड़ता है। राष्ट्रपति ने एक-साथ चुनाव कराने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच ज्यादा संवाद होना चाहिए और इस बाबत एक समझौते के प्रयास किए जाने का आह्वान भी किया। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे हालांकि इसके लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। अब एक बार फिर से दोनों चुनाव एक साथ कराने की बात चल रही है तो इसके फायदों को समझना प्रासंगिक है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं। 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के पहिए में गति बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि चुनावी प्रक्रिया एक साथ ही पूरी की जाए। ऐसा करने से आम लोगों के लिए सरकारों के पास पर्याप्त समय होगा। इससे पहले अप्रैल 2016 में दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने एक साथ चुनाव कराने की अपनी मंशा जाहिर की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ज्यादातर दल उनसे कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से बहुत वक्त बर्बाद होता है। विकास एवं अन्य कार्य रुक जाते हैं। आचार संहिता की वजह से 40-50 दिन तक फैसले लंबित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ चुनाव कराने का मामला कोई नया है। भारत में पहले भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं लेकिन किसी विशेष कारण से इसे बंद करना पड़ा था। चार लोकसभा और विधानसभा चुनाव लगातार साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ हुए थे लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दी थी और तब से इसका सिलसिला टूट गया। इस संबंध में नीति आयोग ने 2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराए जाने पर अपनी रिपोर्ट दी थी। नीति आयोग के मुताबिक इसे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में बढ़ोत्तरी और कुछ के कार्यकाल में कटौती करनी होगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन कराना होगा और संशोधन प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पारित कराना होगा। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सबसे बड़ा फायदा यही बताया जा रहा है कि इससे राजनीतिक स्थिरता आएगी क्योंकि अगर किसी राज्य में कार्यकाल खत्म होने के पहले भी कोई सरकार गिर जाती है या फिर चुनाव के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वहां आनन-फानन में नहीं बल्कि पहले से तय समय पर ही चुनाव होगा। इससे वहां राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे चुनावी खर्च में काफी बचत होगी। केंद्र सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि दोनों चुनाव एक साथ कराने से तकरीबन 4,500 करोड़ रुपये की बचत होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 3426 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव में लगभग 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे। अगर दोनों चुनाव एक साथ हों तो मोटे तौर पर सरकार का यह काम एक ही खर्च में हो जाएगा। उसे अलग से चुनाव कराने और सुरक्षा संबंधी उपाय नहीं करने होंगे। एक ही बार की व्यवस्था में दोनों चुनाव हो जाएंगे और इससे संसाधनों की काफी बचत होगी। सुरक्षा बलों को भी बार-बार चुनाव कार्य में इस्तेमाल करने के बजाए उनका बेहतर प्रबंधन करके जहां उनकी अधिक जरूरत हो, वहां उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दलों को भी दो अलग-अलग चुनावों की तुलना में हर स्तर पर कम पैसे खर्च करने होंगे। एक साथ चुनाव होने से कई स्तर पर प्रशासकीय सुविधा की बात भी कही जा रही है। अलग-अलग चुनाव होने से अलग-अलग वक्त पर आदर्श आचार संहिता लगाई जाती है। इससे होता यह है कि विकास संबंधित कई निर्णय नहीं हो पाते हैं। शासकीय स्तर पर कई अन्य कार्यों में भी इस वजह से दिक्कत पैदा होती है। जानकारों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से प्रशासनिक स्तर पर चुनावों की वजह से होने वाली असुविधा कम होगी और शासन तंत्र और प्रभावी ढंग से काम कर पाएगा। जब भी चुनाव होते हैं, आम जनजीवन प्रभावित होता है। चुनावी रैलियों से यातायात पर असर पड़ता है। कई तरह की सुरक्षा बंदिशों की वजह से भी आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर बार-बार होने वाले चुनावों के बजाय एक बार में दोनों चुनाव होते हैं तो इस तरह की दिक्कतें कम होंगी और आम जनजीवन में अपेक्षाकृत कम अवरोध पैदा होगा। पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार इस बात के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव हों। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह बात कह चुके हैं। उनके बयानों के बाद चुनाव आयोग का भी बयान आया है कि वह ऐसा कराने के लिहाज से अपनी क्षमताएं विकसित कर रहा है। उसके मुताबिक इस साल सितंबर तक वह इस स्थिति में आ जाएगा कि अगर जरूरत पड़ी तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकें। दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में मौजूदा सरकारों का कार्यकाल पूरा होगा। इसके साथ ही अप्रैल 2019 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नियमों के मुताबिक कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलवक्त विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराने पर फिलहाल सहमति बनती नजर नहीं आ रही। इस मुद्दे पर संसदीय समिति की बैठक में विपक्ष ने इस कवायद को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। आम राय न बनने के कारण समिति की तरफ से रिपोर्ट पेश करने में देर हो सकती है। सरकार चाह रही थी कि रिपोर्ट पर संसद में चर्चा करा ली जाए। ऐसे में 2018 में लोकसभा के साथ-साथ सात राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार एक साथ चुनाव कराने में कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं है क्योंकि संविधान में पहले से ही स्पष्ट प्रावधान है जिसके अंतर्गत कभी भी किसी भी विधानसभा या लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, केरल, तमिलनाडु समेत 18 राज्य भी एक साथ चुनाव कराने के सैद्धांतिक रूप से पक्ष में हैं। भाजपा, असम गण परिषद, कांग्रेस, डीएमके, एआईडीएमके व इंडियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का वैचारिक समर्थन करती हैं। अगर व्यवहारिक मुश्किलों को दूर कर लिया जाए तो चुनावों को एक साथ कराने का तर्क इस बात से पुष्ट होता हैं कि विधि आयोग ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था।

अग्निकांडों के लिए जिम्मेदार कौन?

हादसे तभी होते हैं जब भ्रष्टाचार होता है, जब अफसरशाह लापरवाही करते हैं, जब स्वार्थ एवं धनलोलुपता में मूल्य बौने हो जाते हैं और नियमों और कायदे-कानूनों का उल्लंघन होता है। आग क्यों और कैसे लगी, यह तो जांच का विषय है ही लेकिन फैक्टरी को तो उसके मालिक ने मौत का कुआं बना रखा था। आग पर काबू पाने के कोई अग्नि शमन उपकरण थे ही नहीं। आग बुझाने के लिए रेत और पानी तक नहीं था। फैक्टरी से बाहर जाने का भी एक ही रास्ता था। आखिर क्या वजह है कि जहां दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वही सारी व्यवस्थाएं फेल दिखाई देती हैं?

देश में एक के बाद एक अग्निकांड हो रहे हैं। एक अग्निकांड मुम्बई के पब में हुआ, जहां पन्द्रह लोगों की जान चली गयी। और अब उससे भी भयानक अग्निकांड बाहरी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्टरी में हो गया, जिसने 10 महिलाओं समेत 17 लोगों की जान ले ली। उस जहरीली काली आग ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए। कितनी ही आंखों की रोशनी छीन ली और एक कालिख पोत दी कानून और व्यवस्था के कर्णधारों के मुंह पर। 'अग्निकांड' एक ऐसा शब्द है जिसे पढ़ते ही कुछ दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं, जो भयावह होते हैं, त्रासद होते हैं, डरावने होते हैं। जीवन का हर पल दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। दुर्घटनाओं को लेकर आम आदमी में संवेदनहीनता की काली छाया का पसरना हो या सरकार की आंखों पर काली पट्टी का बंधना-हर स्थिति में मनुष्य जीवन के अस्तित्व एवं अस्मिता पर सन्नाटा पसर रहा है। इन बढ़ती दुर्घटनाओं की नृशंस चुनौतियों का क्या अंत है? बहुत कठिन है दुर्घटनाओं की उफनती नदी में जीवनरूपी नौका को सही दिशा में ले चलना और मुकाम तक पहुंचाना, यह चुनौती सरकार के सम्मुख तो है ही, आम जनता भी इससे बच नहीं सकती। बवाना की आग में पीड़ितजन तो सहानुभूति के पात्र हैं ही, पर इन घटनाओं के लिए सहानुभूति की पात्र देश की जनता भी है, जो भ्रष्ट, लापरवाह एवं लालची प्रशासनिक चरित्रों को झेल रही है। मनुष्य अपने स्वार्थ और रुपये के लिए इस सीमा तक बेईमान और बदमाश हो जाता है कि हजारों के जीवन और सुरक्षा से खेलता है। दो-चार परिवारों की सुख समृद्धि के लिए अनेक घर-परिवार उजाड़ देता है। बवाना की आग इतनी विकराल थी कि श्रमिकों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। शव एक-दूसरे से चिपके पाए गए। आग तो इस औद्योगिक क्षेत्र की तीन फैक्टरियों में लगी थी। लेकिन जिस फैक्टरी में मौतें हुईं उसके ग्राउंड फ्लोर पर पटाखों की पैकिंग का काम हो रहा था और ऊपर रबड़ की फैक्टरी थी। हादसे तभी होते हैं जब भ्रष्टाचार होता है, जब अफसरशाह लापरवाही करते हैं, जब स्वार्थ एवं धनलोलुपता में मूल्य बौने हो जाते हैं और नियमों और कायदे-कानूनों का उल्लंघन होता है। आग क्यों और कैसे लगी, यह तो जांच का विषय है ही लेकिन फैक्टरी को तो उसके मालिक ने मौत का कुआं बना रखा था। आग पर काबू पाने के कोई अग्नि शमन उपकरण थे ही नहीं। आग बुझाने के लिए रेत और पानी तक नहीं था। फैक्टरी से बाहर जाने का भी एक ही रास्ता था। आखिर क्या वजह है कि जहां दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वही सारी व्यवस्थाएं फेल दिखाई देती हैं? सारे कानून कायदों का वहीं पर स्याह हनन होता है। हर दुर्घटना में गलती भ्रष्ट आदमी यानी अधिकारी की ही होती है पर कारण बना दिया जाता है पुर्जों व उपकरणों की खराबी को। जैसे-जैसे जीवन तेज़ होता जा रहा है, सुरक्षा उतनी ही कम हो रही है, जैसे-जैसे प्रशासनिक सर्तकता की बात सुनाई देती है, वैसे-वैसे प्रशासनिक कोताही के सबूत सामने आते हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हर बड़ी दुर्घटना कुछ शोर-शराबे के बाद एक और नई दुर्घटना की बाट जोहने लगती है। सरकार और सरकारी विभाग जितनी तत्परता मुआवजा देने में और जांच समिति बनाने में दिखाते हैं, अगर सुरक्षा प्रबंधों में इतनी तत्परता दिखाएं तो दुर्घटनाओं की संख्या घट सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, यह मंथन का विषय है। राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश में हर जगह कानूनों एवं व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ते हुए देखा जा सकता है। बवाना की फैक्टरी में यदि नियमों एवं कायदों को लागू किया होता तो इतनी जानें नहीं जातीं। मजदूर चाह कर भी कुछ कर नहीं पाए। यदि दो रास्ते होते तो शायद लोगों की जानें बच जातीं। आग तो आग ही है, वह अपना-पराया नहीं देखती है। फैक्टरी के मालिक ने दिल्ली फायर ब्रिगेड से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी नहीं लिया था। कोई कह रहा है कि उसके पास गुलाल बनाने का लाइसेंस था, प्लास्टिक का सामान बनाने का लाइसेंस था लेकिन प्लास्टिक की फैक्टरी में पटाखों का होना अपने आपमें खतरनाक है। इस औद्योगिक क्षेत्र के जिस संबंधित विभाग के अधिकारियों के कंधों पर जांच-पड़ताल की जिम्मेदारी थी, वे अधिकारी भी मामले में पूरी तरह से बेखबर थे। साफ है कि फैक्टरी नियमों और कानूनों का उल्लंघन करके चलाई जा रही थी। दिल्ली में केवल बवाना ही नहीं, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां अवैध रूप से ऐसे उद्योग चल रहे हैं जो मानव जीवन के लिए जानलेवा हैं। इंसान का जीवन कितना सस्ता हो गया है। अपने धन लाभ के लिए कितने इंसानों के जीवन को दांव पर लगा देता है। श्रमिकों की जान जोखिम में डालना तो मालिकों का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है, लेकिन इन बेचारे मजबूरी के मारे श्रमिकों एवं मजदूरों की जान की जिम्मेदारी एवं उसकी सुरक्षा उन अधिकारियों की है जिन्हें कानून एवं कायदों को अमलीजामा पहनाना होता है। लेकिन मालिकों से ज्यादा दोषी ये अधिकारी और कर्मचारी हैं। अगर ये अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते तो उपहार सिनेमा अग्निकांड नहीं होता, नन्दनगरी के समुदाय भवन की आग नहीं लगती, पीरागढ़ी उद्योगनगर की आग भी उनकी लापरवाही का ही नतीजा थी। बात चाहे पब की हो या रेल की, प्रदूषण की हो या खाद्य पदार्थों में मिलावट की-हमें हादसों की स्थितियों पर नियंत्रण के ठोस उपाय करने ही होंगे। तेजी से बढ़ते हादसों का हिंसक एवं डरावना दौर किसी एक प्रांत या व्यक्ति का दर्द नहीं रहा। इसने हर भारतीय दिल को जख्मी किया है। इंसानों के जीवन पर मंडरा रहे मौत के तरह-तरह की डरावने हादसों एवं दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिये प्रतीक्षा नहीं, प्रक्रिया आवश्यक है। स्थानीय निकाय हो या सरकारें, लाइसेंसिंग विभाग हो या कानून के रखवाले- अगर मनुष्य जीवन की रक्षा नहीं की जा सकती तो फिर इन विभागों का फायदा ही क्या? कौन नहीं जानता कि ये विभाग कैसे काम करते हैं। सब जानते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर इंस्पेक्टर आते हैं और बंधी-बंधाई राशि लेकर लौट जाते हैं। लाइसेंसिंग विभाग में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। इसके लिए कोई एक विभाग जिम्मेदार नहीं बल्कि उद्योगों से जुड़े सभी विभाग जिम्मेदार हैं। पर नैतिकता और मर्यादाओं के इस टूटते बांध को, लाखों लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते इन आदमखोरों से कौन मुकाबला करेगा? कानून के हाथ लम्बे होते हैं पर उसकी प्रक्रिया भी लम्बी होती है। कानून में अनेक छिद्र हैं। सब बच जाते हैं। सजा पाते हैं गरीब आश्रित, जो मरने वालों के पीछे जीते जी मर जाते हैं। और ये फैक्टरियां और ये कारखाने फिर लेबल और शक्ल बदल-बदलकर एक नये अग्निकांड को घटित करते रहते हैं। लेकिन कब तक? इन अग्निकांडों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं। सरकार की नाकामी इसमें प्रमुख है। पुलिस 'व्यक्ति' की सुरक्षा में तैनात रहती है 'जनता' की सुरक्षा में नहीं। भ्रष्ट अधिकारी नोट जुगाड़ने की कोशिश में रहते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए नहीं।

-ललित गर्ग

सीख

आखिर तक विरोधी से भी सुलह की कोशिश करें

श्रीराम और श्रीकृष्ण हमारे दोनों महानायकों की एक समान विशेषता है कि वे अपने विरोधी से सुलह-समझौते की आखिरी कोशिश करते हैं लेकिन रावण की तरह ही दुर्योधन भी न माना। मात्र पांच गांव देकर सारा विवाद खत्म करने की बजाय दुर्योधन श्रीकृष्ण को ही बंदी बनाने की तैयारी करने लगा। श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों अपने विरोधी के गुणों का सम्मान भी करते हैं। श्रीराम ने लक्ष्मण को रावण से सीखने के लिए प्रेरित किया तो श्रीकृष्ण लगातार पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण के गुणों के प्रशंसक रहे। अच्छा काम करने के लिए हमें अपने दुर्बल अहं को दूर करना होगा। कृष्ण कहते हैं- मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, पुण्यात्मा और पापात्मा, इन सभी के लिए जिसकी समबुद्धि हो, उसे उत्तम मानना चाहिए। हमें दोनों तरह के लोग मिलेंगे, शायद पापात्मा ज्यादा मिलें पर जो नापसंद हैं, उनसे नफरत करने की जगह उनके प्रति समबुद्धि रखने से बेहतर काम किया जा सकेगा। इसमें शायद ही किसी को कोई संदेह हो कि राम हनुमान से और कृष्ण अर्जुन से बेहतर कर सकते हैं परंतु दोनों ने ही उन्हें तथा कुछ अन्यों को प्रेरित किया। आखिर यही तो प्रबंधन है। प्रबंधन की सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा के अनुसार कई लोग प्रबंधन से जुड़े होने के बावजूद परिस्थिति के अनुसार व्यवहार नहीं करते। वे हर समय अपने ही प्रभाव में होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना, अपनी भूमिका को समझना और सामने वाले से कोई काम निकलवाना, ये प्रबंधन (मैनेजमेंट) के गुर (खास नुस्खे) हैं जो हर व्यक्ति नहीं जानता। हम भले एक ही हैं लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमारी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। हमें अपनी भूमिका के अनुसार व्यवहार सीखना चाहिए। गीता को ही लें। अर्जुन के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं थीं। अनेकानेक प्रश्न थे। एक योग्य प्रबंधक अपने अधीनस्थों की शंकाओं का निराकरण किये बिना अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण एक श्रेष्ठ प्रबंधक, शिक्षक की तरह इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया- 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।' अर्थात् तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल पर नहीं। अनेक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कार्य करने वाले योजना के सफल होने में संदेह जताते हैं। ऐसी स्थिति में योग्य प्रबंधक हर जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए कहता है, 'तुम घबराओ मत। हर तरह के तनाव और शंकाओं को त्याग कर, जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। मैं सब संभाल लूंगा।' गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यही बात कही गई है- 'सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज। अहम् त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामी मा शुचः।।' एक अन्य श्लोक में कहा गया, 'तू अपने धर्म के अनुसार कर्म कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।' यहां एक बात विशेष ध्यान देने की है कि धर्म का अर्थ कर्तव्य है जबकि हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा-पाठ, तीर्थ-मंदिरों में जाने को धर्म मानते हैं। विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म और कर्म है देश की रक्षा करना। एक पिता का धर्म अपनी संतान को योग्य बनाना। एक पुत्र का धर्म अपने पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाना आदि। गीताकार कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश-अपयश और हानि-लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानि धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नापतौल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज्यादा हानि उठाते हैं। विपरीत परिणामों की आशंका के कारण जिम्मेवारी से भागना मूर्खता है।

बोल वचन

अब किसी में हिम्मत नहीं कि भारत की ओर टेढ़ी नजर से देखे।

-राजनाथ सिंह, गृहमंत्री।

काम की बात

हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या शिक्षित बेरोजगारी की है। आज युवा वर्ग शिक्षित होकर भी इधर-उधर घूम रहा है। अगर इन शिक्षित बेरोजगारों में से आधे ही लोगों को रोजगार मिल जाय तो हिन्दुस्तान की तस्वीर बदल जायेगी और सारी दुनिया भारत का अनुसरण करेगी। यह कठिन जरूर है मगर असम्भव नहीं। हमारी सरकारें शिक्षा देने और शिक्षित करने पर तो जोर दे रही हैं मगर उसी ढर्रे पर जिस ढर्रे पर बेरोजगारों की फौज तैयार होती चली जा रही है। इस पद्धति और नीति को बदलना होगा। हम हिन्दी, सामाजिक विषय आदि पढ़कर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आज रोजगारपरक शिक्षा की आवश्यकता है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति रोजगार या नौकरी के पीछे न भागे बल्कि रोजगार स्वयं आ जाये। आज जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं रोजगारपरक विषय न के बराबर हैं। ऐसी शिक्षा से क्या हासिल किया जा सकता हैं जिससे न मान, न रोजगार, न प्रकाश फैले। इससे तो एक अंधकारयुक्त समाज और देश का निर्माण होगा न कि नवभारत का निर्माण होगा।

रजत पट

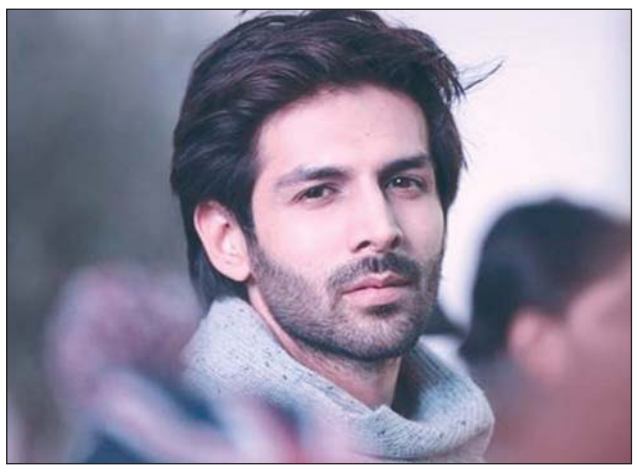

वैसा हीरो बनकर खुश हूं जिससे लोग खुद को जोड़ते हैं : कार्तिक आर्यन

करियर की शुरुआत में कुछ असफलताएं झेलने के बाद भी कार्तिक आर्यन इस बात से खुश हैं कि वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां लोग खुद को उनसे जोड़ते हैं। आर्यन ने अपने करियर की शुरुआत 'प्यार का पंचनामा' से की थी। इस फिल्म की सराहना दर्शकों के साथ-साथ फिल्म आलोचकों ने भी की। इसके बाद उनकी दो फिल्में 'आकाशवाणी' और 'कांची' बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में नाकामयाब रही थीं। इसके बाद अभिनेता की फिल्म 'प्यार का पंचनामा 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में सफल रही लेकिन उनकी अंतिम फिल्म 'गेस्ट इन लंदन' को समीक्षकों ने नकारात्मक रेटिंग दी। साक्षात्कार में अभिनेता ने कहा कि वह अपने हिस्से की सफलता और इस बात से खुश हैं कि दर्शक उन्हें प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं अपने करियर के शुरुआती समय में ही हूं और मैं यह महसूस नहीं करता कि मैं कहीं पहुंच गया हूं। लोग मेरे किरदार के साथ खुद को जोड़ते हैं और मुझे अलग तरीके से देखते हैं। वे मुझे पहचानते हैं और मेरे किरदार की छोटी-छोटी बातों को याद रखते हैं। मैं ऐसा हीरो बनकर खुश हूं जिससे लोग खुद को जोड़ते हैं।' अभिनेता अपनी छवि का श्रेय निर्देशक लव रंजन को देते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि छवि और बिना छवि की जिंदगी जीना एक अभिनेता के लिए आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि जब उनकी दो फिल्में 'आकाशवाणी' और 'कांची' बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं तो वह चिंतित हो गए थे।

मुझे कुछ कहना है

पेट्रोल की दोगुनी कीमत अन्याय

महोदय,

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से घरेलू बाजार में इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए सिर्फ कच्चे तेल की कीमतें नहीं, बल्कि इस पर लगने वाला टैक्स भी जिम्मेदार है। तेल कंपनियों के स्तर पर एक लीटर पेट्रोल करीब 33 रुपये में तैयार हो जाता है। हालांकि इसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव आने की वजह से यह खर्च कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन एक लीटर पेट्रोल आपको 80 रुपये के पार मिल रहा है। इंडियन ऑयल कंपनी के डाटा के मुताबिक कंपनी ने एक लीटर पेट्रोल को 33 रुपये में डीलर को बेचा। डीलर ने इस पर करीब चार रुपये अपना कमीशन जोड़ा। इस तरह एक लीटर पेट्रोल की कीमत 37 रुपये हो जाती है। डीलर के अपना कमीशन जोड़ने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 19.88 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगाई गई। वहीं, राज्य सरकार इस पर करीब 15.11 रुपये वैट के तौर पर वसूलेगी। वैट और एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद आपको एक लीटर पेट्रोल के लिए करीब 71.59 रुपये चुकाने पड़ेंगे। लागत से दो गुना से ज्यादा पर चीज बेचना अन्याय है। जबकि पेट्रोल अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तु है।

-सुधांशु वशिष्ठ, हल्द्वानी।